सहायक कलक्टर (SDO) शिव

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
शम्भूसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुत, निवासी ओमनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		अभयसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत, निवासी ओमनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर हाल निवासी खारा टावरिया तहसील नौख, जिला जैसलमेर वगैरा (09)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर** 262/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2023	प्रार्थी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा ओमनगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 315, 317 रकबा 5.9732, 1.9668 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का खातेदारी हिस्सा 2/5 आया हुआ है। राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है तथा इसी हिस्सा मुजब अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी के चारों ओर तारबंदी कर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अतः विवादित आराजी का प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थीगण विभाजन से पूर्व ही मौखिक विभाजन से किये गये सेढों को तोड़कर प्रार्थी की सुधारी हुई भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करवाने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा विभाजन करवाकर उसके बाद निर्माण कार्य करने को कहा तो विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा करना शुरू कर दिया तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करने की धमकियां दी गई, जबकि सामलाती खातेदारी भूमि में विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस तरह यदि सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण द्वारा विभाजन करने से पूर्व ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है या नव निर्माण कर उसे बेदखल किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकेगी तथा साथ ही प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में होने से एवं मामला आत्यांतिक आवश्यकता का होने से श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने व कोई निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरुपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या (ख) उक्त वाद या कार्यवाही के संबंध में कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस सम्पत्ति को हटाने या उसका व्ययन (Disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है :– तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकेगा .... हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है एवं अपने हिस्से की भूमि में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 13:43:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

(SDO) शिव

मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा काश्त में प्रवेश कर दखलदांजी की जाती है या निर्माण कार्य कर प्रार्थी को उनके कब्जा काश्त से बेदखल किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा इससे प्रार्थी को अपने विधिक खातेदारी अधिकारों से भी महरूम रहना पड़ेगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा ओमनगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 315, 317 रकबा क्रमशः 5.9732, 1.9668 हैक्टेयर में प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने व निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एंव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 29.8.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

29.8.23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 3.11.23 को पेश हो।

~~पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक .... को पेश हो।~~

3.11.23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 2.4.24 को पेश हो।

3.4.24 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12.8.24 को पेश हो।

12.8.24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ... पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण की तामील हेतु दिनांक 28.10.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

पत्रावली पेश हुई ... 28.10.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 13:43:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बाबत विपक्षीगण की तामील हेतु अवसर दिया जाकर दिनांक 19.12.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
19.12.24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 10.02.25 को पेश हो।	
10.2.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 21.4.25 को पेश हो।	
0/3/2025	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित, मूल वाद का निस्तारण हो चुका है, अतः इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	ज्ञात है (अधिवक्ता प्रार्थी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 13:43:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner